

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 03/2020

दायर दिनांक 25.06.2020



प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।		1. नन्दाराम पुत्र रेखा जाति जाट निवासी खातिडा की ढाणी तहसील डीडवाना, जिला-नागौर राजस्थान, वगैरा।

प्रार्थना पत्र बाबत

चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकॉर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम- 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

-:: संशोधित निर्णय ::-

दिनांक 27.07.2020

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक रास्ता/रास्ता अभियान/2020/राजस्व/87 दिनांक 23.07.2020 के द्वारा ग्राम-खातिडा की ढाणी पटवार मण्डल-निमोद के संलग्न सूची के अनुसार खेत खसरा सं0 461 चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालू रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार ग्राम-खातिडा की ढाणी पटवार मण्डल-निमोद में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों के खेत खसरा सं0 461 का राजस्व रेकॉर्ड में मार्क सी से डी, ई, एफ, बी के अनुसार अंकन किया जावे संलग्न सूची व ट्रेस नक्शा (मौका फर्द) निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम हों।


(अंशुल सिंह)
R.A.S.

सहायक कलक्टर
डीडवाना

संशोधित निर्णय आज दिनांक 27.07.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।


(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 03/2020

दायर दिनांक 25.06.2020

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार डीडवाना जिला-नागौर, राजस्थान।		1. नन्दाराम पुत्र रेखा जाति जाट निवासी खातिडा की ढाणी तहसील डीडवाना, जिला-नागौर राजस्थान, वगैरा।

प्रार्थना पत्र बाबत
चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकॉर्ड में अंकन बाबत
राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम- 58, 59, 60, 66, 86
अन्तर्गत धारा 131, 132 L.R.Act.

-:: निर्णय ::-

दिनांक 29.06.2020

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के संदर्भ में आपने अपने पत्र क्रमांक रास्ता/रास्ता अभियान/2020/राजस्व/715 दिनांक 25.06.2020 के द्वारा ग्राम-खातिडा की ढाणी पटवार मण्डल-निमोद के संलग्न सूची के अनुसार खेत खसरा सं0 461 चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबन्दी एवं नक्शे में अंकन किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार ऐसे चालु रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर किया जायेगा।

तहसीलदार डीडवाना ने राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया है। राज्य सरकार के परिपत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न सूची व ट्रेस नक्शे के अनुसार ग्राम-खातिडा की ढाणी पटवार मण्डल-निमोद में चालु स्थाई सार्वजनिक रास्तों के खेत खसरा सं0 461 का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जावे व वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रास्ता नजरी नक्शा में मार्क ए से बी को हटाया जावे। संलग्न सूची व ट्रेस नक्शा (मौका फर्द) निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ते में ज्यादा गई भूमि 0.10 हैक्टर खातेदारी की जमीन में से कम की जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम हों।

(अंशुल सिंह)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर),
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 29.06.2020 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना